

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ : दिनांक : 05 दिसम्बर 2014

विषय- वर्ष 2014-15 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं वितरण और राहत कार्यों का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2014-15 अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या-505/1-10-14-12(34)/03टी.सी.1, दिनांक 12.11.2014 धनावंटन किये जाने के साथ ही विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

1- प्रदेश में वर्तमान में पड़ रही अत्यधिक ठण्ड से शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।

2- क्रय किये जाने वाले कम्बलों की मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा लाभार्थियों को कम्बल वितरण के समय उसकी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित करायी जाय। कम्बलों का वितरण यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाय।

3- प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा क्रय किए गए कम्बलों में से एक कम्बल जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से सीलबन्द करके राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, छठां तल, लखनऊ को तत्काल प्रेषित किया जाये ताकि कम्बल की गुणवत्ता को देखा जा सके।

4- उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग होने के पश्चात् यदि अतिरिक्त और धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो स्वीकृत धनराशि के उपभोग के पूर्ण विवरण सहित अपेक्षित धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

5- शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यों के क्रियान्वयन सम्बन्धी अनुपालन आख्या (कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति) राहत कन्ट्रोल रूम के फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किए जाने के साथ ही राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर प्रत्येक दिन शाम 4.00 बजे तक अवश्य अपलोड किया जाय।

3- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।